142

रतलाम

5 रु. भारत पाँच रुपये
Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES

माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर,

प्रकरण क्र. /2017 अपील R 337-PB2-17

मदनलाल पिता कन्हैयालाल, आयु 55 वर्ष, निवासी–पिपलोदा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम ....अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, रतलाम ....रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्र. 98/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर निम्न कारणो के आधार पर अपील अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर अपील विधि विधान एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील समयावधि व गुणदोष पर निरस्त किये जाने में त्रुटि की हैं, जबकि समयावधि के प्रश्न पर अपीलार्थी ने अपने आवेदन में प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिया, उसको नहीं मानकर अपील अवधि एवं ग्राह्यता के बिंदु पर निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की हैं।

03. यह कि, अवधि के संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण न्यायमुख होना चाहिये एवं न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह नहीं देखा जाना चाहिये कि, विलंब कितना है, विलंब कितना भी हो, उसे मान्य करना चाहिये। इस प्रकरण में अपीलार्थी को कोई जानकारी दिये बिना आदेश पारित हुआ हैं, इस कारण विलंब का माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 337-पीबीआर/17 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–1–2017	अपीलार्थी की ओर से ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है और राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः इस प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह अपील अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	